रॉ शुगर एक्सपोर्ट पर ₹3,300 प्रति टन की सब्सिडी

[पीटीआई | नई दिल्ली]

केंद्र सरकार ने सोमवार को इस साल फरवरी-मार्च के दौरान रॉ शुगर शिपमेंट्स पर 3,300 रुपये प्रति टन की एक्सपोर्ट सब्सिडी नोटिफाई कर दी। इससे पहले आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने गन्ना किसानों के एरियर पेमेंट में शुगर इंडस्ट्री की मदद करने के लिए फरवरी में इस बाबत एक प्रपोजल को मंजूर किया था। नोटिफिकेशन में कहा गया है, 'फरवरी और मार्च के लिए इनसेंटिव 3,300 रुपये प्रति टन के रेट पर होगा। इसके बाद रुपये के मुकाबले डॉलर का एवरेज एक्सचेंज रेट देखने के बाद हर दो महीने में इसे रिकैलकुलेट किया जाएगा।' हालांकि, सब्सिडी के लिए 40 लाख टन की क्वान्टिटैटिव लिमिट होगी। जो चीनी मिलें रॉ शुगर प्रॉड्यूस करती हैं और खुद या एक्सपोर्टर्स के जरिए उसे एक्सपोर्ट करती हैं, वे इनसेंटिव पाने की हकदार होंगी।

रॉ शुगर एक्सपोर्ट करने की तारीख इनसेंटिव्स निर्धारित करने का आधार होगी। भारत, दुनिया का दूसरा बड़ा शुगर प्रॉड्यूसर है और इसके पास चीनी का भारी-भरकम स्टॉक है। इस साल चीनी का आउटपुट 2.5 करोड़ टन रह सकता है, जो 2.35 करोड़ टन की डोमेस्टिक डिमांड से कहीं ज्यादा होगा। शुगर डिवेलपमेंट रूल्स 2014 में सुधार करके रॉ शुगर के लिए इनसेंटिव देने का प्रावधान बनाया गया है।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, 'केंद्र समय-समय पर रॉ शुगर प्रॉडक्शन की मार्केटिंग और प्रमोशन सर्विसेज के इनसेंटिव पर होने वाले एक्सपेंडिचर पर फैसला ले सकते है।' शुगर मिलों को सब्सिडी अमाउंट की रिसीट के तीन महीने के भीतर इनसेंटिव अमाउंट का इस्तेमाल किसानों के बकाया का भुगतान करने में करना चाहिए।

The economic Times.
4-3-14.